भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 73

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा

73. सुश्री नुसरत जहां रूही:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाजार विनियमत, रोजगार संरक्षण और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रम सुधारों को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम सुधारों द्वारा काफी लंबे समय से लंबित भारतीय औद्योगिक क्रांति को वास्तव में प्राप्त किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी और नियोक्ता हेतु निष्पक्ष ढंग से लाभ के लिए श्रम सुधार कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है ताकि समय की मांग को पूरा करने के लिए विधायी और शासन प्रणाली को अद्यतन किया जा सके जिससे उसे अधिक प्रभावी, लचीला और उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप बनाया जा सके। तदनुसार, श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के समान, मंत्रालय ने विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्कसंगत बनाकर चार श्रम संहिताओं अर्थात मजदूरी संबंधी संहिता; औद्योगिक संबंध संबंधी संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं संबंधी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। इन 4 श्रम संहिताओं में से मजदूरी संहिता, 2019 को दिनांक 8 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। दिनांक 23 जुलाई, 2019 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2019 लोक-सभा में पेश किया गया था और इसके बाद श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच हेतु निर्दिष्ट किया गया था। शेष 2 संहिताएं पूर्व-विधायी स्तर पर हैं।

****